उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
U. P. Power Corporation Ltd.

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ ।

संख्या 68–प्रसु–01/पाकालि/2009–21–प्रसु/2001 दिनांक: 25 जनवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 21 जनवरी, 2010 को सम्पन्न हुई बयासीवीं बैठक के निर्णयानुसार कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 196–प्रसु–01/पाकालि/07 –21–प्रसु/ 2001–टीसी–7 दिनांक 2..8.07 के स्तम्भ –1 में इंगित प्रस्तर–3 सपठित कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 472–ज.श. एवं प्र.सु. –01/पाकालि/2009–21–प्र.सु./2001 दिनांक 20 जून, 2009 को स्तम्भ–2 के अनुसार निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
प्रस्तर–3–कर्मचारियों एव अधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु प्रबंध निदेशक को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को प्राप्त थे तथा प्रबंध निदेश अभियन्त्रण सेवा में अधीक्षण अभियंता एवं उच्च पद के अधिकारी तथा अन्य संवर्गो में उक्त पदों के समकक्ष अधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी संवर्गो के कर्मचारियों एवं अधिकारियों, जिनके नियुक्ति अधिकारी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, के नियुक्ति अधिकारी माने जायेंगे। अध्यक्ष, अधीक्षण अभियंता एवं उच्च पद के अधिकारी एवं अन्य संवर्गो में उक्त पदों के समकक्ष अधिकारियों के नियुक्ति अधिकरी यथावत रहेंगे। उक्त के परिप्रेक्ष्य में संगत सेवा नियम एवं विनियमावली उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेंगी।	**प्रस्तर–3** उ0प्र0 पावर कारपारेशन लि0 के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके नियुक्ति अधिकारी पूर्ववर्ती परिषद में अध्यक्ष तथा वर्तमान में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक हैं, के स्थान पर अब इनके नियुक्ति अधिकारी अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपारेशन लि0 माने जायेंगे। इसमें अभियन्त्रण एवं अन्य संवर्गो के समकक्ष अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे तथा इसके फलस्वरूप इनके स्थानान्तरण एवं प्रशासनिक कार्यवाही हेतु अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपारेशन लि0 अधिकृत होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में संगत सेवा नियम एवं विनियमावली उक्त सीमा तक स्वयमेव संशोधित माने जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या 68–प्रसु–01/पाकालि/2009–21–प्रसु/2001 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सचिव, ऊर्जा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्बद्ध अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अपर प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी/केस्को, कानपुर।
6. अपर सचिव (का0प्रब0–01/02/03)/अरा0/महाप्रबन्धक (औ0सं0)/अपर विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियंता (स्तर–1 /स्तर–2)/अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/ विद्युत वितरण लि0।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्ध/महाप्रबनधक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नन्द लाल)
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)